05.09.24 अधिवक्ता धारी उप। अधिवक्ता वादी के प्रतिवादी सं. 5, 7, 8 की तरफ आदिकाल तक नहीं करवाई है। पत्रावली काफी लम्बे समय से लम्बित है विचाराधीन है वादी अधिवक्ता के प्रतिवादी गण की तरफ से प्रकरण में जवाब दिये जा चुके हैं परन्तु प्रतिवादी सं. 5, 7, 8 की तरफ अभी तक नहीं करवाई गई है जिससे प्रतीत होता है कि वादी प्रकरण के प्रति कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रकरण के आधार पर नियम 3 CPC के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण वर्तमान स्थिति पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निस्तारित हो। पत्रावली डाक्यूमेंट के हक से कम की जाकर निस्तारित की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:56:30 IST
Reason: SelfAttested